न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 60 / 2024 बउनवानी अमरजीत सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार निवासी दौलतपुरा तहसीलदार खण्डार

GCMS No-2024/153

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
19.12.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.9.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" *पटवारी हल्का ग्राम दौलतपुरा की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2023 के अनुसार ख0न0 172/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा मे से 3 बीघा 10 बिस्वा पर स्कूल फील्ड 2 बीघा पर अतिक्रमणहै उस अतिक्रमी का नाम की जानकारी एवं मरघट ख0न0 635/108 रकबा 7 बिस्वा मे से 3 बिस्वा पर मरघट एवं 4 बिस्वा पर अतिक्रमण है उस अतिक्रमी के नाम की प्रमाणित सूचना*" तहसीलदार खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः ना.तह./राजस्व/2024/317 दिनांक 2.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.9.2024 में चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार खण्डार के पत्रांक/राजस्व/2024/1212 दिनांक 29.10.2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि ख0न0 172/1 व 635/108 पर अतिक्रमण के संबंध में धारा 91 की रिपोर्ट प्राप्त नही होने के कारण सूचना देय नही है तथा स्कूल फील्ड ख0न0 172/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा पर अतिक्रमण के संबंध मे संबंधित संस्था प्रधान द्वारा कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजांत का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.9.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने के संबंध में तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 1212 दिनांक 29.10.2024 के द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2025.06.25 18:02:00 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner